न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 142/2021
GCMS No. – 2021/395

1. श्री दुर्गेश मेघवाल पिता देवीलाल जी जाति मेघवाल आयु 16 साल निवासी मड्डा गुलफरोशान नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमति गायत्री पत्नि देवीलाल जी मेघवाल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्री विजय मेघवाल पिता देवीलाल जी जाति मेघवाल आयु 11 साल निवासी मड्डा गुलफरोशान नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमति गायत्री पत्नि देवीलाल जी मेघवाल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता घासी जी जाति मेघवाल आयु 55 साल निवासी मड्डा गुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्री देवीलाल पिता मोहनलाल जी जाति मेघवाल आयु 35 साल निवासी मड्डा गुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. उप पंजीयक महोदय, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. श्री राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री हरिश सौलंकी – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2

:: निर्णय ::

दिनांक :– 10.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित हैं। जिसके नवीन खाता संख्या 336 में आ० न0 152 रकबा 0. 0500 हेक्टेयर, आ० न० 166 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे० मु० चाह, आ० न0 167 रकबा 0.3[illegible] हेक्टेयर, आ० न० 168 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आ० न० 169 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आ० न० 170 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, आ० न० 171 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, आ० न० 1[illegible] रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आ० न० 173 रकबा 0.7900 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.8000 हेक्टेयर कुल लगानी 33.1300 रूपये दर्ज राजस्व रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 139 आ० न० 218 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, आ० न० 220 रकबा 0.5700

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर, आ० न० 223 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, आ० न० 435 रकबा 1.6400 हेक्टेयर, आ० न० 531 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे० मु० चाह, आ० न० 532 रकबा 1.1500 हेक्टेयर, आ० न० 533 रकबा 1.3400 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 5.7600 हेक्टेयर कुल लगानी 173.3600 रूपये वाके दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी शामलाती होकर इसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या एक एवं अन्य खातेदारों की उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पैत्रिक चली आ रही है। पुर्व में यह आराजीयात घासी जी के नाम पर थी। घासी मेघवाल चमार के देहान्त के बाद विरासत से यह जमीन उनके जायन्दा पुत्रों व पुत्री के नाम पर इन्तकाल राजस्व रेकार्ड में अमद दरामद हुआ है। मौके पर हर दोनों खाता संख्याओं में वर्णित आराजीयात का मौखिक बटवाडा कर समस्त आराजीयात के 1/3 1/3 एक तिहाई हक हिस्से अनुसार मौके पर रामेश्वरलाल, मोहनलाल, अम्बालाल ने अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात पर बिना किसी बाधा के घासी जी के जमाने से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दीया एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रतियाँ फोटों प्रतियाँ साथ में पेश है।

3. प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के वंश की वंशावली का विवरण इस प्रकार है कि मुल पुरूष घासी जी हुए। उनके तीन पुत्र रामेश्वरलाल, मोहनलाल, अम्बालाल तथा एक पुत्री मुन्नाबाई हुए। घासी जी द्वारा उनके जीवनकाल में जब उनकी पुत्री यानि वादीगण भुबाजी का विवाह किया था उस समय सब कुछ जर जैवरात इत्यादी दे दिये गये थें। मुन्नाबाई सकुशल अपने ससुराल में राजीखुशी परिवार पुत्र पुत्रों सहित निवास कर रही है। उनके जमीन जायदाद की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में हर दोनों खाता संख्याओं में अंकित आराजीयात नम्बरान जो कि इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात का बटवाडा मौखिक तौर पर घासी जी द्वारा उनके जीवन काल में उनके तिनों पुत्रों के बराबर 1/3 1/3 हक हिस्सा अनुसार कर कब्जा खास मौके पर तिनों पुत्रों रामेश्वरलाल, मोहनलाल, अम्बालाल को सिपुर्द कर दिया गया था। तब से ही उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर तिनों भाईयों का कब्जा एक तिहाई हक हिस्से अनुसार बिना किसी बाधा के चला आ रहा है।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. वादग्रस्त आराजीयात में मोहनलाल जी के 1/3 एक तिहाई हक हिस्से में उनके पिताजी यानि घासी जी की विरासत हुई। मोहनलाल जी के 1/3 हक हिस्से में से उनके दो पुत्र देवीलाल व रामनाराय[illegible] उसमें से जो विपक्षी देवीलाल का जो हक हिस्सा कानुनन [illegible] एक तिहाई हक हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात पैत्रिक [illegible] ही हक हिस्सा निहित हो गया है। इसलिए पैत्रिक पुश्तैनी आराजीयात को [illegible] प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार घोषणा कराकर नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड कराये जाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थीगण विपक्षी संख्या एक के 1/3 तथा 5/16 हक हिस्से की उक्त वर्णित हर दोनों खाता संख्याओं की आराजीयात जिसमें हम प्रार्थीगण का हक हिस्साविरासत से कानुनन रूप से पैत्रिक वादग्रस्त आराजीयात में बनता है। उसकी विधिवत् घोषणा कराकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाये जाने के अधिकारी है। हम प्रार्थीगण का जहाँ मौके पर कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर है उस बाबत् कोई विवाद नहीं करें, रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करें आराजी के उपयोग उपभोग तथा काश्त करने में कोई बाधा रूकावट दखलअन्दाजी पैदा न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है।

6. वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थीगण के दादाजी यानि विपक्षी एक तथा उनके भाईयो व बहिन के नाम संयुक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड है। प्रार्थीगण के दादाजी मोहनलाल जी का जो हक हिस्सा है उसमें से हम प्रार्थीगण के पिता यानि प्रतिवादी विपक्षी दो देवीलाल जी का 1/3 यानि कुलिया हक हिस्से में से 1/9 वॉ हक हिस्सा कानुनन रूप से बनता है। जिसकी घोषणा कराकर हम प्रार्थीगण हमारे पिताजी के हक हिस्से में से दो तिहाई हक हिस्सा नाम पर कराये जाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण के नाम पर नहीं होने से विपक्षी दो देवीलाल के बहकावे में आकर विपक्षी एक हम प्रार्थीगण का हम हिस्सा अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो रहा है। हम प्रार्थीगण के समझाने पर नही नहीं मान रहे है। वादग्रस्त आराजीयात हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड नहीं होने से उसका नाजायद फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजी को विपक्षी एक मोहनलाल अन्य सह खातेदारों के बहकावे में आकर रहन, बय, बक्शीश, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करें तथा दौराने वाद राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन न स्वयं करें, न अन्य किसी से करावें। विपक्षीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, जिससे हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से कि आराजी का उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा रूकावट, अड़चन पैदा न हो, मोका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, अन्य व्यक्तियों को विक्रय, दान, वसीयत इत्यादी नही करें। मौके पर किसी प्रकार से कोई रास्ता का विवाद नहीं करें न अन्य किसी से करावें ।। हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग तथा काश्त बिना किसी बाधा के करने देवें उसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करें इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के अधिकारी है।

7. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री हरिश सौलंकी ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की सहमति प्रदान की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया।

9. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पक्षकारन की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा आ० न0 152 रकबा 0. 0500 हेक्टेयर, आ० न० 166 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे० मु० चाह, आ० न0 167 रकबा 0.3500 हेक्टेयर, आ० न० 168 रकबा 0.1800 हेक्टेयर, आ० न० 169 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, आ० न० 170 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, आ० न० 171 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, आ० न० 172 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आ० न० 173 रकबा 0.7900 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.8000, आ० न० 218 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, आ० न० 220 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, आ० न० 223 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, आ० न० 435 रकबा 1.6400 हेक्टेयर, आ० न० 531 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे० मु० चाह, आ० न० 532 रकबा 1.1500 हेक्टेयर, आ० न० 533 रकबा 1.3400 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 5.7600 हेक्टेयर भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखे एवं किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे न करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा